न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 45/2018

1 सरदाराराम पुत्र गणपतराम
2 रणवीर पुत्र गणपतराम
3 संजीव पुत्र प्रतापसिंह
4 विनोद पुत्र प्रताप सिंह
5 राजेश पुत्र प्रताप सिंह
6 पवन पुत्र प्रताप सिंह
7 सुरेश पुत्र जयकरण
8 मुकेश पुत्र जयकरण
जाति समस्त जाट निवासीगण ग्राम अरड़ावता, तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।
9 श्रीमती गुलाब पत्नी प्रताप सिंह जाति जाट निवासीगण ग्राम अरड़ावता, तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू राज.।
10 सुमन पुत्री प्रताप सिंह पत्नी सुरेन्द्र जाति जाट निवासीगण ग्राम ओजटू, तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू राज.।
11 मु. कमला पत्नी जयकरण जाति जाट निवासीगण ग्राम अरड़ावता, तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 मोहर सिंह पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासीगण ग्राम अरड़ावता, तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

2 शेखावाटी ग्रामीण बैंक जरिये मैनेजर शाखा अरड़ावता तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।
3 राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।
4 रामजीलाल पुत्र रामकुमार
5 भागीरथ पुत्र रामकुमार
6 जगमाल पुत्र रामकुमार
7 मदन पुत्र रामकुमार
समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम अरड़ावता, तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी. एक्ट 1955
प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व अन्तिम डिक्री
बअदालत उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा, जिला
झुन्झुनू दावा उनवानी मोहर सिंह बनाम
सरदाराराम वगै. दावा बाबत विभाजन दावा
संख्या 173/2014 निर्णय व अन्तिम डिक्री
दिनांक 11.02.2017

अपील संख्या 66/2019

1 रामजीलाल पुत्र रामकुमार उम्र 72 साल जाति जाट निवासी अरडावता तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलान्ट

बनाम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

1 सरदाराराम पुत्र गणपत जाति जाट निवासीगण ग्राम अरड़ावता, तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू राज.।

2 रणवीर पुत्र गणपत जाति जाट निवासीगण ग्राम अरड़ावता, तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू राज.।

3 संजीव पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासीगण ग्राम अरड़ावता, तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू राज.।

4 विनोद पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासीगण ग्राम अरड़ावता, तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू राज.।

5 राजेश पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासीगण ग्राम अरड़ावता, तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू राज.।

6 पवन पुत्र प्रताप सिंह जाति जाट निवासीगण ग्राम अरड़ावता, तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू राज.।

7 सुरेश पुत्र जयकरण जाति जाट निवासीगण ग्राम अरड़ावता, तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू राज.।

8 मुकेश पुत्र जयकरण जाति जाट निवासीगण ग्राम अरड़ावता, तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू राज.।

9 भागीरथ पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासीगण ग्राम अरड़ावता, तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू राज.।

10 जगमाल पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासीगण ग्राम अरड़ावता, तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू राज.।

11 मदन पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासीगण ग्राम अरड़ावता, तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू राज.।

12 मोहरसिंह पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासीगण ग्राम अरड़ावता, तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू राज.।

13 शेखावाटी ग्रामीण बैंक शाखा अरडावता जरिये शाखा प्रबंधक तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

14 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय आदेश दिनांक 06.08.2019
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा बमुकदमा
उनवानी रामजीलाल बनाम सरदारा राम आदि
मु.नं. 43/2017 किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र
अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा
151 सीपीसी

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अजीत पापटवान, अधिवक्ता अपीलांट
3. श्री शिवनारायण सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 8.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 173/2014 में पारित निर्णय दिनांक 11.02.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों अपीलों में विवादित भूमि में पक्षकार समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ग्राम अरडावता तहसील चिड़ावा की भूमि खसरा नम्बर 207, 208, 264, 268, 269, 280, 281, 282, 283, 284 के संदर्भ में विभाजन का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई दिनांक 24.10.2016 को प्राथमिक डिक्री जारी की एवं दिनांक 11.02.2017 को अंतिम डिक्री जारी

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

की। इससे व्यथित होकर प्रतिवादी संख्या 1 से 8 एवं गुलाब, सुमन व कमला की ओर से अंतिम डिक्री के विरूद्ध अपील संख्या 45/2018 धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 9 रामजीलाल के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई थी। इस एकपक्षीय कार्यवाही को मनसुख करवाने के लिए रामजीलाल द्वारा विचारण न्यायालय में आदेश 09 नियम 13 के तहत आवेदन संख्या 43/2017 प्रस्तुत किया गया था। जो दिनांक 06.08.2019 को खारिज किया गया है। इससे व्यथित होकर रामजीलाल की ओर से अपील संख्या 66/2019 प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की सम्यक तामील नहीं हुई है। विभाजन के वाद में सभी रिकार्डेड खातेदार को पक्षकार संयोजित किया जाना आवश्यक है। प्रस्तुत प्रकरण में रूकमा, गुलाबी, सुमन व कमला रिकार्डेड खातेदार थे। उन्हें पक्षकार भी संयोजित नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रावधानों की पालना किये बिना, आवश्यक पक्षकारों का पक्षकार संयोजित किये बिना, सम्यक तामील किये बिना साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री जारी कर विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय ने आदेश 09 नियम 13 के आवेदन में भी तथ्यों का विवेचन किए बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। जानकारी से अंदर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे 2017 पेज 299 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में सभी रिकार्डेड खातेदार को पक्षकार बनाया गया है। विधिक प्रकिया अनुसार सभी पक्षकारों की सम्यक तामील करवाई गई है। सम्यक तामील के उपरांत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

अनुपस्थित रहने पर विधि अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। विचारण न्यायालय ने विधि सम्मत विवेचन कर आदेश 09 नियम 13 का आवेदन खारिज किया है। विचारण न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचाराधीन निर्णय से अंतिम डिक्री पारित की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील मियाद बाहर है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डीएनजे (एससी) 2002 पेज 457 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय में अपीलांट की सम्यक तामील नहीं हुई है। विभाजन के वाद में सभी रिकार्डेड खातेदार को पक्षकार संयोजित किया जाना आवश्यक है। प्रस्तुत प्रकरण में रूकमा, गुलाबी, सुमन व कमला रिकार्डेड खातेदार थे। उन्हें पक्षकार भी संयोजित नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रावधानों की पालना किये बिना, आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार संयोजित किये बिना, सम्यक तामील किये बिना साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री जारी कर विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय ने आदेश 09 नियम 13 के आवेदन में भी तथ्यों का विवेचन किए बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि रिकार्डेड खातेदारों को पक्षकार संयोजित कर जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.08.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 8.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर